बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17 / विविध 1–227 / 2026 पटना, दिनांक :– / / 2026

श्री अशोक कुमार शर्मा, पटना द्वारा डा० गीता सिन्हा, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के विरूद्ध दायर उक्त परिवाद के माध्यम से डा० सिन्हा के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एव कार्य अवधि के दौरान निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया गया है, किन्तु परिवादी द्वारा दायर उक्त परिवाद पत्र अहस्ताक्षरित है एवं परिवादी का पता अपूर्ण है।

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–945 दिनांक–24.06 2005 की कंडिका–4(1) में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त परिवाद को अनाम / बेनामी, छद्नामी परिवाद पत्र मानते हुए समीक्षोपरान्त संचिकास्त किया जाता है।

3. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–17 / विविध 1–227 / 2026 – 13101/17 पटना, दिनांक :– 05 / 10 / 2026

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।